न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 1940–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–2003 – पारित व्दारा – तत्का0सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 1252–3/03 निगरानी

1– रामगोपाल 2– सोबरन सिंह
3– राधेश्याम पुत्रगण भगवतप्रसाद
निवासी ग्राम सुसानी तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

1– नरेन्द्र पुत्र अजमेर सिंह
ग्राम सुसानी तहसील जौरा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश
2– म0प्र0 शासन व्दारा एस0डी0ओ0जौरा ––––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक क–1 स्वयं उपस्थित)
(आवेदक–2 के पैनल लायर श्री बी.एन.त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 5 फरवरी, 2016 को पारित)

तत्का0सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1252–3/03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15–9–2003 पर से यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, जौरा ने प्रकरण क्रमांक 80/1985–86 अ–59 में पारित आदेश दिनांक 8–10–1986 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 234 के अंतर्गत ग्राम सुसानी का निस्तार पत्रक तैयार करते हुये सर्वे नंबर 128, 129, 130, 382 बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे नंबर 308, 296, 297, 295 की नोईपरिवर्तित कर काविलकास्त मद में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क–1 ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 41/1986–87 प्रस्तुत करने पर अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 31–8–1987 से अनुविभागीय अधिकारी जौरा

निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 78/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-5-2003 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध तत्का0सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 1252-3/03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-9-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये विवरण पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि जब जब निस्तार पत्रक तैयार किया जाता है निस्तार पत्रक में यथासॅशोधन के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को हैं किन्तु तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 15-9-2003 पारित करते समय संहिता की धारा 234 उनकी नजरों से दृष्टि-ओझल होने से प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है जो पुनरावलोकन का सबल आधार है। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुक्रम में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 का अवलोकन करने तथा कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 41/1986-87 में आदेश दिनांक 31-8-1987 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 78/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2003 के अवलोकन से विचार योग्य है कि क्या निस्तार पत्रक में अनुविभागी अधिकारी सॅशोधन अथवा सुधार करने के लिये सक्षम हैं अथवा नहीं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 234 (3) इस प्रकार है:-

" 234 (3) - उपखंड अधिकारी , ग्रामसभा व्दारा प्रार्थना की जाने पर, या जहां कोई ग्राम सभा न हो , वहॉ किसी ग्राम के कम से कम एक-चौथाई वयस्क निवासियों के आवेदन पर, या स्वप्रेरणा निस्तार पत्रक में की किसी प्रविष्टि को, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो कि वह उचित समझे, किसी भी समय उपरांतरित कर सकेगा। "

शॅकर बनाम म0प्र0राज्य 1982 रा0नि0 79 एंव महाराज सिंह बनाम अमरवाई 1982 रा0नि0 417 के दृष्टांत हैं कि कलेक्टर निस्तार पत्रक के इन्द्राज में संशोधन करने की

स्वप्रेरित या आवेदन पर डायरेक्ट कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं रखता है। सॅशोधन की अधिकारिता एस0डी0ओ0 को धारा 234 (3) के अधीन प्राप्त है।

विचाराधीन प्रकरण में निस्तार पत्रक में सॅशोधन हेतु ग्राम पंचायत की ओर सेअनुसॅशा सहित प्रस्ताव/ठहराव भी प्राप्त है। वाद विचारित भूमि ग्रामीणों के निस्तार में नहीं आर रही है क्योंकि आवेदकगण वाद विचारित भूमि खेती करते आने का तथ्य है। इसके वाद भी कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 31-8-87 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अधिकारिता-रहित मानकर निरस्त करने में भूल की है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने भी अपील क्रमांक 78/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2003 उक्त पर विचार न करने की त्रृटि की है एंव तत्का0 सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1252-3/03 निगरानी में आदेश दिनांक 15-9-2003 पारित करते समय संहिता की धारा 234 के उपबंध पर विचार में न लेने की प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है जिसके कारण उक्तादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। वैसे भी वाद विचारित भूमि का मात्र खसरे में मद परिवर्तन हुआ है भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आबंटित नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के आदेश दिनांक 8-10-1986 में 28 वर्ष वाद फेर-बदल करना न्यायहित में नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 41/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 31-8-1987 , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 78/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2003 एंव तत्का0सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1252-3/03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-9-2003 निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/1985-86 अ-59 में पारित आदेश दिनांक 8-10-1986 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर